



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 16 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 26, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या- 148/X-3-26/01(61)/2017

देहरादून, 16 जून, 2026

अधिसूचना

प० आ०-32

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद चम्पावत के ग्राम डाबरी में मझेड़ा समाधि से डाबरी ग्राम तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 01.25 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गई राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी 9(3)ड (बंजर काबिल आबाद) की 02.50 भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	तहसील	खतौनी खाता/खेत न०	कुल भूमि (है०)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	चम्पावत	वारसी	पाटी	80/2407	03.379	02.50	9(3)ड (बंजर काबिल आबाद)
					योग-	02.50	

- 2- संरक्षित वन का सीमांकन किया जायेगा एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।
 3- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम हस्तांतरित किया जाने वाला क्षेत्र किसी भी प्रकार के अधिकारों एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

आज्ञा से,
 मुकेश कुमार राय,
 संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 148/X-3-26/01(61)/2017, Dehradun dated June 16, 2026 for general information:

File No. 148/X-3-26/01(61)/2017

Dated Dehradun, June 16, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act No. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare 02.50 hectare land of category-9(3)e (Banjar Kabil Aabad) owned by the State Government, transferred by District Magistrate, Champawat to the Forest Department for compensatory plantation in respect of 01.25 hectare forest land transferred for the construction of motor road from **Majheda Samadhi to village Dabri** in Tehsil Pati of Champawat District, details of which are given in the table below, as forest land as well as protected forest, for the purposes of Chapter IV of the said Act.

Table

Sr. No.	District	Village	Tehsil	Khatauni Khata/Khet No.	Total Area (in Hectares)	Area acquired for compensatory plantation (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Champawat	Warsi	Pati	80/2407	03.379	02.50	Category- 9(3)e Banjar Kabil Aabad
					Total	02.50	

2- The protected forest shall be demarcated and pillars shall be constructed.

3- The area, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records, mentioned in table above is free from any claim of rights and concessions.

By Order,

MUKESH KUMAR RAI,
 Joint Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05/वन पर्या०/218-2026-100+25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।